# न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

**पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)**

प्रकरण संख्या 08 / 2022
जीसीएमएस न0 2022 / 434

श्री गोपाल पिता रतनलाल जी जाति गायरी उम्र 37 साल निवासी टीलाखेडा तह निम्बाहेडा राज०

...अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री भागीरथ पिता हरिराम जी जाति गायरी उम्र वयस्क निवासी टीलाखेडा तह0 निम्बाहेडा राज०
2. श्री किशनलाल पिता खेमा जी जाति गायरी उम्र वयस्क निवासी टीलाखेडा तह0 निम्बाहेडा राज०
3. श्रीमान तहसीलदार सा० निम्बाहेडा राज0

. रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम
नामान्तरकरण संख्या 430 दिनांक 16.05.2005
अधिवक्ता अपीलाण्ट , बाबुलाल पाटीदार
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट, एक पक्षीय

निर्णय

दिनांक 12.05.2023

1. संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कि रेस्पोंडेन्ट नं0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजी नं0 137 रकबा 1.17 बिघा एवं 320 / 110 रकबा 1.17 बिघा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बिघा 14 बिस्वा मोजा टीलाखेडा प0ह0 अरनियाजोशी तह निम्बाहेडा में स्थित है, उसमें से अपीलाण्ट ने रेस्पोडेन्ट नं० 1 भागीरथ व रेस्पोंडेन्ट नं० 2 किशनलाल प्रत्येक के हिस्से में से 1 / 8 भाग यानि कुल आराजी का 1 / 4 भाग जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.02.2005 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से अपीलाण्ट उक्त आराजियात के 1 / 4 भाग पर शांति पूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजियात के नवीन आ0नं0 285 रकबा 0.4700 हेक्टेयर व आ.नं., 286 रकबा 0.4700 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.9400 हेक्टेयर है।
2. उक्त खरीदशुदा आराजियात [illegible] नाम[illegible]करण विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाण्ट के [illegible] पर खोला जाना [illegible] था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने 1 / 4 हिस्से का नामान्तरकरण नहीं [illegible] कर नामान्तरकरण सं0 430 दिनांक 16.05.2005 से 1 / 16 हिस्से का [illegible]करण खोल दिया, जिसकी [illegible] अपीलाण्ट को पूर्व में नहीं थी तथा अभी हाल ही में पटवारी हल्का [illegible] 15 / 06 / 22 को नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई और जानकारी होते ही यह अपील निम्न आधारो पर पेश की जा रही है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:06:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा



Scanned with OKEN Scanner

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होने से निरस्ती योग्य है।

2 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया कि विक्रेता रेस्पोंडेन्ट नं० 1 व 2 ने अपने दर्ज हिस्से मेंसे कुलिया आराजी का 1/4 हिस्सा अपीलाण्ट को विक्रय किया और मौके पर कब्जा भी इसी अनुसार सौंपा है, इसलिये नामान्तरकरण भी 1/4 हिस्से का खोला जाना चाहिये था, जो नहीं खोल कर गंभीर त्रुटी की है और जो नामान्तरकरण खोला वह निरस्ती योग्य हैं।

3 यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त विक्रयशुदा आराजियात के मौके कब्जे की स्थिति की कोई रिपोर्ट उक्त नामान्तरकरण खोलने से पूर्व नहीं मंगवाई और न ही अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस प्रेषित नहीं किये और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया और अपनी मन मर्जी अनुसार नामान्तरकरण 1/16 हिस्से को खोलकर गंभीर त्रुटी की है इसलिये उक्त नामान्तरकरण निरस्ती योग्य है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोले गये नामान्तरण की पूर्व में समुचित रूप से कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थी तथा पहली बार जानकारी दिनांक 15/6/22 को हुई तो नकल हेतु आवेदन किया और नकले प्राप्त की तब जानकारी हुई और जानकारी होते ही यह अपील पेश की जा रही है जो जानकारी से अन्दर अवधि पेश है तथा जो देरी हुई है उसे क्षम्य किये जाने हेतु पृथक से आवेदन धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जा रहा है।

3. हमने प्रकरण को दर्ज किया जाकर विपक्षी एवं रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किया गया एवम् तहसीलदार निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गयी । तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने दिनांक 13.05.2023 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होने बताया कि मोजा टीलाखेड़ा के आ.न. 137 रकबा 1.17 बीघा आ०न. 320/110 रकबा 1.17 बीघा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा में खातेदार श्री भागीरथ पिता हरिराम, किशनलाल पिता खेमा जाति गायरी सा. देह ने गोपाल पिता रतनलाल गायरी सा देह को 1/4 हिस्सा विकय किया गया । परन्तु सहवन से नामांतरण दायर करते समय गोपाल पिता रतनलाल 1/16 भागीरथ पिता हरीराम किशन लाल पिता खेमा 11/16 दर्ज हो गया । अतः सहवन से दर्ज अशुद्धि को शुद्ध किया जाना उचित हैं । उक्त आराजियात के साकिब आराजी के हाल आराजी 285 रकबा 0.47 आराजी नम्बर 286 रकबा 0.47 वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 142 में खाता शुद्ध होकर निम्न प्रकार होना चाहिये । किशनलाल पिता खेमा 1/4 भागीरथ पिता हरीराम 1/4 गोपाल पिता रतन लाल 1/4 रतनलाल पिता गोपीलाल 1/4 गायरी सा० देह ।

4. मैने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन करने, अपील विवरण व जांच रिपोर्ट तहसीलद[illegible] अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 430 निर्णय दिनांक 05.07.2[illegible] वादी द्वारा नामान्तरण सख्या 430 दिनांक 16.05.2005 [illegible] दिनांक 05.07.2005 को निर्णित किया गया [illegible] को निरस्त कि[illegible]कर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को इस आशय से रिमाण्[illegible] कि सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विकय विलेख [illegible] की विधिवत जांच करते हुए नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही करे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:06:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा



Scanned with OKEN Scanner

# आदेश

अतः अपील अपीलाण्ट अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाती है। ग्राम टीलाखेडा पटवार हल्का अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेड़ा की नामांतरण संख्या 430 दिनांक 05.07.2005 अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत अरनिया जोशी द्वारा स्वीकृत नामांतरण को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि ग्राम टीलाखेडा, पटवार अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेडा की नामान्तरकरण संख्या 430 दिनांक 05.07.2005 की विक्रय पत्र एवम् अन्य सभी दस्तावेजो की विधिवत जांच कर सभी पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही करें । आदेश की पालना हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को भेजा जावें ।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में केम्प कोर्ट अरनिया जोशी में सुनाया गया । निर्णय लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

12/5/23

(रमेश सीरवी पुनड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:06:50 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner